

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010

संख्या :- 79 /12/कम्प्यूटर- अनुभाग-12/2018-2024/02-परीक्षा/2018

लखनऊ : दिनांक : 24 अक्टूबर, 2024

आवश्यक सूचना

आयोग के विज्ञापन संख्या-02-परीक्षा/2018, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी (सं०क०) एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2018 के अंतर्गत पदवार, श्रेणीवार व अभ्यर्थियों द्वारा दी गयी वरीयता के आधार पर निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त कुल 1527 पदों के सापेक्ष 1526 अभ्यर्थियों तथा निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन ग्राम विकास अधिकारी (सं०क०) के रिक्त कुल 362 पदों के सापेक्ष 360 अभ्यर्थियों व समाज कल्याण पर्यवेक्षक के रिक्त कुल 64 पदों के सापेक्ष 64 अभ्यर्थियों अर्थात् कुल रिक्त 1953 पदों के सापेक्ष 1950 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम मा० आयोग के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 12.09.2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।

दिनांक 12.09.2024 को घोषित उक्त अंतिम चयन परिणाम में औपबन्धिक चिन्हित अभ्यर्थियों में से निम्नलिखित 21 अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्रों का परीक्षण/व्यक्तिगत सुनवाई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में दिनांक 14.11.2024 को की जानी निर्धारित है-

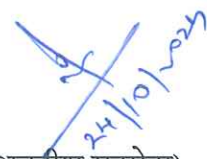
दिनांक 14.11.2024 की व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी

SR	ROLLNO
1	00006984
2	00013683
3	00075605
4	00109824
5	00132422
6	00256565
7	00272110

SR	ROLLNO
8	00272134
9	00275142
10	00280358
11	00285718
12	00295021
13	00558796
14	00614521

SR	ROLLNO
15	00742609
16	00864730
17	00947750
18	00977598
19	01126882
20	01134046
21	01161502

प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत घोषित परिणाम में औपबन्धिक चिन्हित उक्त 21 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने समस्त शैक्षिक, आरक्षण, अनापत्ति एवं अन्य सम्बंधित अभिलेखों की मूल एवं छायाप्रति तथा फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र (आधार कार्ड आदि) सहित उपर्युक्तानुसार निर्धारित तिथि दिनांक 14.11.2024 को आयोग कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त के साथ ही अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सुनवाई का उक्त अवसर अंतिम अवसर है। उक्त तिथि के अतिरिक्त सुनवाई हेतु कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।


(अवनीश सक्सेना)
सचिव।

(Signature)